रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 मार्च, 2014

संख्या 03–06/2014 (मापदण्ड).–भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप–धारा (1) के खंड (छ क) और खंड (छ ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की पूर्व अनुमति से, नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियम, 2013 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 में,–

(i) उप विनियम (1) में, –

(अ) खंड (ख) और खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(ख) (i) साठ सीट ग्रहण करने के लिए तीन एकड़ से अन्यून एकल भूखंड हो ; इकसठ से सौ सीट ग्रहण करने के लिए पांच एकड़ से अन्यून और दो से अनधिक ऐसे प्लाटों में, जो दो किलोमीटर से अनधिक दूरी पर हों ;

(ii) प्लाट, यदि सड़क या नहर या नाले द्वारा पृथक है परंतु सेतु से जुड़ा है तो, एक भूखंड माना जाएगा। भूमि, महाविद्यालय के नाम से, महाविद्यालय द्वारा धारित होनी चाहिए या निन्यानवें वर्ष से अन्यून या राज्य विनियमों द्वारा अनुज्ञात अधिकतम अवधि के लिए पट्टे पर कब्ज़े में होनी चाहिए। तथापि, पट्टे के अवसान पर अनुज्ञा का नवीकरण आवश्यक होगा ;

(ड.) भारतीय चिकित्सा की संबंधित पद्धति के अधिसूचित न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय चिकित्सा में एक अस्पताल का स्वामित्व और प्रबंधन करता हो ;'';

(आ) खंड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(ड.क) भारतीय चिकित्सा की संबंधित पद्धति के अधिसूचित न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचना और मानव शक्ति को चरणबद्ध रीति से स्थापित करने की स्थिति में है ;'';

(इ) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(छ) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के पक्ष में पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध निष्पादन बैंक गारंटी निम्न के अनुसार देने की स्थिति में है–

60 सीट तक – एक करोड़ रुपए

61 से 100 सीट तक – एक करोड़ पचास लाख रुपए :

परंतु यह राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा शासित महाविद्यालयों को लागू नहीं होगा, यदि वे उनके द्वारा उपदर्शित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं के पूर्णतः प्रदान किए जाने तक, अपने योजना बजट में निधियों का नियमित रूप से उपबंध किए जाने की वचनबद्धता देते हैं ;'';

(ii) उप विनियम (2) में,–

(अ) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'' (घ) केंद्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद या सिद्ध या यूनानी में क्रमशः कम से कम चार वर्ष छह माह और तीन वर्ष का स्नातकीय या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यताप्राप्त है ;'';

(आ) ''(छ) आयुर्वेद'' कोष्ठकों, अक्षर और शब्द से आरंभ होने वाले और ''पहले से दी हुई हो ।'' शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ज) आयुर्वेद या सिद्ध या यूनानी तिब्ब महाविद्यालय या संस्थान, प्रत्येक विषय के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यक्रम समयावधि की समतुल्य अवधि के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में निम्नवत् बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता है :–

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – पचास लाख रूपए

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम – दस लाख रूपए

अति विशिष्टता पाठ्यक्रम – एक करोड़ रूपए

कोई अन्य मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम – तीस लाख रूपएः

परंतु यह राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा शासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा, यदि वे उनके द्वारा उपदर्शित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं के पूर्णतः प्रदान किए जाने तक, अपने योजना बजट में निधियों का नियमित रूप से उपबंध किए जाने की वचनबद्धता देते हैं;'';

(इ) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(झ) अवसंरचना और मानव शक्ति को ऐसी रीति में स्थापित करने की स्थिति में है, जो भारतीय चिकित्सा की संबंधित पद्धति के अधिसूचित स्नातकोत्तर विनियमों और किसी अन्य संबंधित विनियम में विनिर्दिष्ट है।'';

(iii) उप विनियम (3) में ;–

(अ) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(घ) स्नातकीय पाठ्यक्रम की दशा में साढ़े चार वर्ष का और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की दशा में तीन वर्ष का तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की दशा में संबंधित विषय में दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो ;'';

(आ) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(ज) प्रत्येक पाठ्यक्रम या विषय के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में निम्नवत् बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता है :–

स्नातकीय पाठ्यक्रम	:	60 सीट तक	:	पच्चीस लाख रुपए
		61—100 सीट	:	पचास लाख रुपए
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	:	प्रति सीट	:	पांच लाख रुपए
अति विशिष्टता पाठ्यक्रम	:	प्रति सीट	:	दस लाख रुपए
कोई अन्य मान्ताप्राप्त पाठ्यक्रम	:	प्रति सीट	:	दो लाख रुपए :

परंतु यह राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा शासित महाविद्यालयों को लागू नहीं होगा, यदि वे उनके द्वारा उपदर्शित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं कें पूर्णतः प्रदान किए जाने तक, अपने योजना बजट में निधियों का नियमित रूप से उपबंध किए जाने की वचनबद्धता देते है;''।

3. मूल विनियम के विनियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

''9. **अनुमति आदेशा**— (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय परिषद् की अनशंसा पर नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए मूल प्रस्ताव में ऐसी शर्तों या आशोधनों के साथ, जो वह आवश्यक समझे, आशय—पत्र जारी करेगी

(2) नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के आशय—पत्र में, छात्रों के पहले बैच के प्रवेश से पूर्व भवनों, अवसंरचना सुविधाओं, चिकित्सीय और सहयुक्त उपस्करों, संकाय सदस्यों और कर्मचारिवृंद की बाबत पूरी की जाने वाली प्रारंभिक अपेक्षाओं का सुस्पष्ट विवरण सम्मिलित होगा।

(3) नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आशय—पत्र में, भवनों, अवसंरचना सुविधाओं, चिकित्सीय और सहयुक्त उपस्करों, संकाय सदस्यों, कर्मचारिवृंद के संबंध में पूरी की जाने वाली प्रारंभिक अपेक्षाओं और विद्यमान स्नातकीय और/या स्नातकोतर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति या सशर्त अनुमति प्राप्त करने का सुस्पष्ट विवरण भी सम्मिलित होगा।

(4) अनुमति पत्र, उप विनियम (2) और उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त शर्तों और आशोधनों के स्वीकार किए जाने और व्यक्ति द्वारा अपेक्षित राशि की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् तथा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

(5) औपचारिक अनुमति में चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल सुविधाओं की स्थापना और विस्तार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम सम्मिलित होगा और यह ऐसे वार्षिक लक्ष्यों को भी निश्चित करेगा, जो आगामी वर्षों के दौरान प्रवेश लेने वाले छात्रों के प्रवेश के अनुरूप व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए केंद्रीय परिषद् द्वारा तय किए जाएं।

(6) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने और छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी और उसका नवीनीकरण वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन के अधीन रहते हुए वार्षिक आधार पर किया जाएगा । आरंभिक अनुमति की समाप्ति के छह माह पूर्व नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् को आवेदन करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का होगा। अनुमति के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया ऐसे समय तक जारी रहेगी जब तक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा अस्पताल सुविधाओं का विस्तार पूरा नहीं हो जाता है और चिकित्सा महाविद्यालय को औपचारिक अनुमति नहीं मिल जाती है । तथापि, किसी भी चरण पर तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक केंद्रीय परिषद् की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो जाती हैं । केंद्रीय सरकार किसी भी चरण पर कमियों को आवेदक को सूचित करेगी और उसे कमियों को दूर करने के लिए एक अवसर और समय देगी ।

(7) केंद्रीय परिषद् प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय से ऐसी अन्य सूचना प्राप्त कर सकेगी जो वह समुचित और आवश्यक समझती है ।

(8) केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क की उप—धारा (9) के अधीन पारित आदेश प्रथम बैच और पश्चात्वर्ती बैचों के छात्रों को प्रवेश देने से पहले भवनों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, चिकित्सा और सहयुक्त उपस्करों की स्थापना, संकाय सदस्यों और कर्मचारिवृंद संबंधी प्रारंभिक अपेक्षाओं को स्पष्टतया उपदर्शित करेगा।''

4. मूल विनियम के प्रपत्र—1 में, क्रम सं0 23 के उप क्रम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपक्रम रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) शय्या—वितरण एवं शय्या अधिभोग तथा ________________________"।

क्या भारतीय चिकित्सा की संबंधित पद्धति के

न्यूनतम मानक अपेक्षाएं विनियम में विनिर्दिष्ट मानक पूरे होंगे।

5. मूल विनियम के प्रपत्र—6 में,—

(i) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:–

"2. निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य सभी सम्बन्धित कागजात परिषद् की कार्यकारिणी समिति के समक्ष उसकी.............को हुई बैठक में प्रस्तुत किए गए थे । कार्यकारिणी समिति ने, प्रस्ताव के सावधानीपूर्वक विचार पर, आशयपत्र या अनुमति पत्र जारी करने के लिए योजना के अनुमोदन या निरानुमोदन हेतु अनुशंसा करने का निर्णय किया । कार्यकारिणी समिति के निर्णय का सामान्य सभा ने .... को हुई अपनी बैठक में अनुमोदन किया ।";

(ii) पैरा 3 में उप पैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(iii) कि आवेदक के पास केंद्रीय परिषद् द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शय्याओं और अवसरंचनात्मक सुविधाएं, विद्यमान अस्पताल के उन्नयन द्वारा, उपलब्ध कराने का उपयुक्त और समयबद्ध विस्तार कार्यक्रम है जिससे प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से चार वर्ष के अवधि के भीतर सामूहिक रूप से विनिर्दिष्ट शय्या पूर्ण संख्या में उपलब्ध कराया जा सके और भारतीय चिकित्सा की संबंधित पद्धति के अधिसूचित न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तों को पूरा किया जा सके;"।

शमशाद बानो, निबंधक–एवं–सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./124/13]

टिप्पणी :– अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियम, 2013 को अंतिम माना जाएगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

No. 03-06/2014 (Norms) - In exercise of the powers conferred by clauses (ga) and (gb) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003", namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These regulations may be called the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulation, 2003 (hereafter referred to as the principal regulations), in regulation 6, -

(i) in sub regulation (1),-

(A) for clauses (b) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b)(i) for intake capacity upto sixty seats single piece of land, not less than three acres; for intake from sixty one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometer;

(ii) the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land. The land should be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, of not less than ninety nine years or maximum permissible period as per State regulations. Renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease;

(e) owns and manages a hospital in Indian medicine as specified in the notified Minimum Standard Requirements Regulations of concerned system of Indian medicine;";

(B) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ea) is in a position to establish infrastructure and manpower in phased manner as specified in the notified Minimum Standard Requirements Regulations of concerned system of Indian medicine;";

(C) for clauses (g), the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) is in a position to provide performance bank guarantee from a Scheduled Commercial Bank valid for a period of five years in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the establishment of medical college as follows:

Upto 60 seats	-	rupees one crore
61-100 seats	-	rupees one crore and fifty lakhs.

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State or Union Territory Governments, if they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them;";

(ii) in sub regulation (2),-

(A) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) is recognised by the Central Council for running Under-Graduate or Post-Graduate courses in Ayurveda or Siddha or Unani for at least four years six months and three years respectively;";

(B) for the portion beginning with the words, brackets and letter "(g) the Ayurveda" and ending with the words "on the same subject", the following shall be substituted, namely:-

"(h) the Ayurved or Siddha or Unani Tibb College or institution provide an undertaking to furnish a bank guarantee in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, from a Scheduled Commercial Bank for a period equivalent to the duration of the course for providing additional infrastructural facilities for each discipline as follows:-

Post-graduate course	-	rupees fifty lakhs
Post-Graduate diploma Course	-	rupees ten lakhs
Super-specialty course	-	rupees one crore
Any other recognised course	-	rupees thirty lakhs

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State or Union Territory Governments, if they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them;";

(C) after the clause (h) so added, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(i) in a position to establish infrastructure and manpower in such manner as specified in the notified Post-Graduate Regulations of concerned system of Indian Medicine and any other concerned regulation.";

(iii) in sub regulation (3),-

(A) for clauses (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) has completed a period of four and a half year in case of Under-Graduate course and three years in case of Post-Graduate course and two years in the concerned subject in case of Post-Graduate Diploma course;";

(B) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) provide an undertaking to furnish a bank guarantee in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, from a Scheduled Commercial Bank for a period equivalent to the duration of the course for providing additional infrastructural facilities for each course or discipline as follows:-

Under-Graduate course	: Up to 60 seats	: rupees twenty five lakhs
	61 to 100 seats	: rupees fifty lakhs
Post-Graduate degree	: per seat	: rupees five lakhs
Super-specialty course	: per seat	: rupees ten lakhs
Any other recognised course	: per seat	: rupees two lakhs

Provided that it shall not apply to colleges governed by the State or Union Territory Governments, if they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them;".

3. In principal regulations, for regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely:-

"9. Permission Order. – (1) The Central Government on the recommendation of the Central Council shall issue a Letter of Intent to set up a new medical college or open new course or increase intake capacity with such conditions or modifications in the original proposal as may be considered necessary.

(2) The Letter of Intent to set up a new medical college shall include a clear cut statement of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty and staff before admitting the first batch of students.

(3) The Letter of Intent to open new course or increase intake capacity shall include a clear cut statement of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty, staff and obtaining the permission or conditional permission for existing under-graduate and/or post-graduate courses.

(4) The Letter of Permission shall be issued after the above conditions and modifications specified in sub-regulations (2) and (3) are accepted and the performance bank guarantees for the required sums are furnished by the person and after receiving the recommendations of the Central Council of Indian Medicine.

(5) The formal permission shall be include a time bound programme for the establishment and expansion of the medical college and the hospital facilities and it shall also define annual targets as may be fixed by the Central Council to be achieved by the person to commensurate with the intake of students during the following years.

(6) The permission to establish a medical college and admit students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of the achievements of annual targets. It shall be the responsibility of the person to apply to the Central Council of Indian Medicine for the purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission. This process of renewal of permission shall continue till such time the establishment of the medical college and expansion of the hospital facilities are completed and a formal recognition of the medical college is granted. However, admissions shall not be made at any stage unless the requirements of the Central Council are fulfilled. The Central Government shall at any stage convey the deficiencies to the applicant and provide him an opportunity and time to rectify the deficiencies.

(7) The Central Council may obtain any other information from the proposed medical college as it deems fit and necessary.

(8) The order passed by the Central Government under sub-section (9) of section 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 shall clearly indicate the preliminary requirements about setting up of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty and staff before admitting the students of first batch and subsequent batches."

4. In principal regulations, in Form-1, in serial number 23, for sub-serial (b), the following sub-serial shall be substituted, namely:-

"(b) bed distribution, bed occupancy and whether the norms specified in Minimum Standard Requirements Regulations of the concerned system of Indian Medicine would be fulfilled.	--".

5. In principal regulations, in Form-6,-

(i) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"2. The inspection report and all other related papers were placed before the Executive Committee of the Council in its meeting held on ___________________. On careful consideration of the proposal, the Executive Committee decided to recommend for approval or disapproval of the Scheme for issue of letter of Intent or Permission. The decision of the Executive Committee has been approved by the General Body in its meeting held on__________________.";

(ii) in paragraph 3, for sub-paragraph (iii), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(iii) that the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional beds and infrastructure facilities as specified by the Central Council, by way of up-gradation of the existing hospital so as to collectively provide the specified bed complement within a period of four years from the date of grant of permission to set up the proposed College and any other conditions as specified in the notified Minimum Standard Requirements Regulations of concerned system of Indian Medicine;"

SHAMSHAD BANO, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./124/13]

Note.- If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College (Amendment) Regulations, 2013", the English version will be treated as final.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.